

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं०सं०-05/स्था०(आरोप)-18/2015 पटना, दिनांक.....

कार्यालय आदेश

श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक को विभागीय आदेश संख्या-6169 दिनांक-23.12.2015 द्वारा निलंबित किये जाने के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक श्री पार्थ सारथी मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त मोटरयान निरीक्षक, कटिहार के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।


श्री सारथी सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को कटिहार जिला के कार्यों का निष्पादन करेंगे तथा सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्णियाँ जिले के कार्यों का सम्पादन करेंगे।

ह०/-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना
ज्ञाप सं०-05/स्था०(आरोप)-18/2015 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:—जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कटिहार/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कटिहार/श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक निलंबित मुख्यालय, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/श्री पार्थ सारथी, मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना
ज्ञाप सं०-05/स्था०(आरोप)-18/2015 64 पटना, दिनांक...05/01/2016
प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/16


5-1-16
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना